न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय)–जयपुर

1. पीठासीन अधिकारी : श्रीमती कुन्तल विश्नोई
2. प्रकरण संख्या : 5/2021
3. उनवान : नगर पालिका मण्डल सांभर लेक जरिये
   1. अधिशाषी अधिकारी न०पा०म० सांभर लेक
   2. अध्यक्ष न०पा०म० सांभर लेक

–अपीलांट

बनाम

1. निदेशक समाज कल्याण विभाग, जयपुर, जिला जयपुर
2. उप निदेशक समाज कल्याण विभाग, जयपुर, जिला जयपुर

–रेस्पोडेन्ट

4. निर्णय दिनांक : 07/11/2024
5. अधिवक्तागणों का नाम : अ) अधिवक्ता श्री कृष्ण कुमार पारीक अपीलांट की ओर से।

निर्णय

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि आराजी खसरा नम्बर 282 रकबा 1 बीघा 3 बिस्वा सिवायचक भूमि वाके कस्बा सांभर लेक में स्थित है। आराजी खसरा नम्बर 282 रकबा 3 बीघा 3 बिस्वा के आवंटन हेतु निवेदन किया गया जिसके संदर्भ में जिला कलक्टर जयपुर के आदेश क्रमांक 36/54 दिनांक 28/04/90 के अनुसार व तहसीलदार सांभरलेक के आदेश क्रमांक राजस्व/90/994 दिनांक 03/05/90 की पालना में उक्त भूमि का नामान्तकरण छात्रावास अनुसूचित जाति/जनजाति समाज कल्याण विभाग जयपुर के नाम नामान्तकरण संख्या 67 खोला गया। उक्त भूमि का आवंटन छात्रावास बनाने के उद्देश्य से किया गया था परन्तु समाज कल्याण विभाग द्वारा हाई सैकेण्डरी स्कूल के पास भूमि पर छात्रावास का निर्माण कर लिया गया था जिस कारण से समाज कल्याण विभाग को आराजी खसरा नम्बर 282 की कोई आवश्यकता नहीं रही। इस कारण से समाज कल्याण विभाग जयपुर ने उक्त भूमि को पुनः नगर पालिका मण्डल सांभरलेक को दिये जाने की अनुशंषा कर दी तथा उक्त भूमि पर नगर पालिका मण्डल सांभरलेक द्वारा कब्जा भी प्राप्त किया जा चुका है परन्तु समाज कल्याण विभाग का नामान्तरण निरस्त नहीं किया गया है। जिस उद्देश्य हेतु समाज कल्याण विभाग जयपुर को उक्त भूमि का आवंटन किया गया था उस उद्देश्य की पूर्ति समाज कल्याण विभाग द्वारा की जा चुकी है तथा वर्तमान मे उक्त भूमि खाली पडी है जिसे समाज कल्याण विभाग को किसी प्रकार की कोई आवश्यकता नही है तथा उन्होंने नगर पालिका मण्डल सांभर लेक के पक्ष में अनापत्ति प्रमाण पत्र भी जारी कर दिया गया है। ऐसी स्थिति में नामान्तकरण संख्या 67 निरस्त किया जावे।

अन्त में नामान्तकरण संख्या 67 रकबा 3 बीघा 3 बिस्वा वाके कस्बा सांभरलेक को निरस्त कर भूमि का नामान्तकरण नगर पालिका मण्डल सांभर लेक के पक्ष मे खोले जाने का निवेदन किया है।

अतिरिक्त, जिला कलक्टर
(तृतीय) जयपुर

अपीलांट ने अपील के संलग्न प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम एवं जमाबंदी की प्रति पेश की है।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। नोटिस तलबी जारी किये गये तथा मूल रिकार्ड मंगवाया गया।

रेस्पोडेन्ट्स की ओर से श्री कृष्णकांत सांखला, उपनिदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारित विभाग, जयपुर ग्रामीण ने जवाब अपील पेश किया जिसमें अंकित किया है कि समाज कल्याण विभाग को अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्रों के लिये छात्रावास की आवश्यकता थी इस हेतु आराजी खसरा नं. 282 रकबा 3 बीघा 3 बिस्वा के आवंटन हेतु निवेदन किया गया था। जिस पर जिला कलक्टर, जयपुर द्वारा उक्त भूमि समाज कल्याण विभाग को आवंटित की गई तथा उक्त आदेश की पालना में नामान्तरण संख्या 67 के द्वारा समाज कल्याण विभाग के पक्ष में नामान्तरण तस्दीक किया गया। इस संबंध में जांच करने पर तथ्य सामने आये कि सावर्जनिक निर्माण विभाग ने समाज कल्याण विभाग हेतु छात्रावास का निर्माण हायर सैकेण्डरी स्कूल के पास किया। तत्कालीन परिस्थितियों में समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों ने स्कूल के पास ही दूसरे स्थान पर छात्रावास निर्माण किये जाने के परिणामस्वरूप नगरपालिका मण्डल सामंरलेक के पक्ष में एन.ओ.सी. जारी करते हुये उक्त भूमि की आवश्यकता नहीं बताई परन्तु वर्तमान परिस्थितियों में आवश्यकता के अनुसार छात्रावास अधीक्षक, सांभरलेक, जयपुर के पत्रांक एफ 1/रा.छा./2023/160 दिनांक 14.03.2023 में निवेदन किया गया है कि गलत स्थान पर सावर्जनिक निर्माण विभाग द्वारा बनाया गया यह छात्रावास भवन अब जीर्ण–शीर्ण अवस्था में होने के कारण वर्तमान समय में छात्रावास संचालन के योग्य नहीं है। अतः विभाग द्वारा नये छात्रावास भवन का निर्माण खसरा नं. 282 रकबा 1.03 बीघा पर किये जाने की सहमति एवं आवश्यकता बताई गई है। उक्त संदर्भ में बताया गया है कि खसरा नं. 282 रकबा 1.03 बीघा पर किसी का भी कब्जा नहीं है। अतः विभाग की आवश्यकता के आधार पर छात्रावास निर्माण हेतु नामान्तरण संख्या 67 को निरस्त किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। वर्तमान वस्तुस्थिति में छात्रावास अधीक्षक, सांभरलेक द्वारा पत्रांक एफ–1/रा.छा. 2023/160 दिनांक 14.03.2023 द्वारा यह बताया गया है कि सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा हायर सैकेण्डरी स्कूल के पास आवंटित भूमि के स्थान पर अन्य स्थान पर निर्मित किया गया। छात्रावास भवन जीर्ण–शीर्ण हो चुका है और भविष्य में विभाग को नये छात्रावास भवन निर्माण की आवश्यकता होगी जो कि खसरा नं. 282 रकबा 1.03 बीघा में किये जाने हेतु सहमति व आवश्यकता बताई है। अतः वस्तुस्थिति के अनुसार समाज कल्याण विभाग को भविष्य में छात्रावास भवन निर्माण हेतु खसरा नं. 282 रकबा 1.03 बीघा की आवश्यकता है ऐसी स्थिति में नामान्तरण संख्या 87 निरस्त किये जाने योग्य नहीं है। वस्तुस्थिति यह है कि समाज कल्याण विभाग द्वारा उपनिदेशक, समाज कल्याण विभाग, जयपुर के पत्रांक 4260 दिनांक 31.01.2006 में केवल सहमति प्रदान की गई थी परन्तु वर्तमान समय में नये भवन निर्माण हेतु इसकी आवश्यकता है अतः उक्त नामान्तरण निरस्त किये जाने योग्य नही है। समाज कल्याण विभाग, जयपुर को छात्रावास भवन निर्माण हेतु जिला कलक्टर, जयपुर द्वारा खसरा नं. 282 रकबा 1.03 बीघा आवंटित की गई थी परन्तु सावर्जनिक निर्माण विभाग ने छात्रावास भवन निर्माण उक्त आवंटित भूमि में ना करके हायर सैकेण्डरी स्कूल के पास कर दिया। छात्रावास अधीक्षक के पत्रांक एफ–1/रा. छा./2023/160 दिनांक 14.03.2023 द्वारा निवेदन किया गया है कि वर्तमान में उक्त छात्रावास भवन जीर्ण–शीर्ण अवस्था में जर्जर हो चुका है अतः भविष्य में विभाग द्वारा नये छात्रावास भवन निर्माण की आवश्यकता बताई गई है। ऐसी स्थिति में

अतिरिक्त जिला कलक्टर

नामान्तरण संख्या 67 निरस्त किये जाने योग्य नहीं है। तत्कालीन परिस्थितियों में समाज कल्याण विभाग द्वारा सहमति प्रदान की गई थी जबकि वर्तमान समय में छात्रावास अधीक्षक ने नये छात्रावास निर्माण की आवश्यकता बताई है जो गरीब छात्रों को शिक्षा एवं सम्बल देने एवं समाज कल्याण की भावना से ओत-प्रोत है। अतः इस स्थिति में नामान्तरण संख्या 67 निरस्त किये जाने योग्य नही है। अतः तत्कालीन परिस्थितियों में सावर्जनिक निर्माण विभाग द्वारा छात्रावास का निर्माण समाज कल्याण विभाग हेतु आवंटित भूमि पर नही करके हायर सैकेण्डरी स्कूल के पास कर दिया गया। वर्तमान में छात्रावास अधीक्षक के पत्रांक एफ-1/रा.छा./2023/160 दिनांक 14.12.2023 के अनुसार यह भवन जीर्ण-शीर्ण व जर्जर अवस्था में है। अतः भविष्य में नये छात्रावास भवन निर्माण की आवश्यकता रहेगी, इस हेतु नया भवन समाज कल्याण विभाग को आवंटित खसरा नं. 282 रकबा 1.03 बीघा में किये जाने की आवश्यकता बताई गई है। इस आधार पर नामान्तरण संख्या 67 रकबा 3 बीघा 3 बिसवा निरस्त किये जाने योग्य नही है।

पत्रावली बहस हेतु नीयत की गई। उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने कथन किया कि अपीलाधीन नामान्तकरण संख्या 67 दिनांक 23.10.1990 को खोला गया। नगरपालिका को आराजी खसरा नं0 282 रकबा 1 बीघा 3 बिस्वा सिवायचक भूमि का नामान्तकरण जिला कलक्टर जयपुर के आदेशानुसार समाज कल्याण विभाग जयपुर के नाम तस्दीक किया गया। नगरपालिका द्वारा दूसरी जगह छात्रावास निर्माण हो जाने के उपरांत उक्त भूमि की आवश्यकता नहीं होने के कारण उक्त भूमि पुनः नगरपालिका मण्डल सांभरलेक को दिए जाने की अनुशंषा कर दी। जिस पर नगरपालिका मण्डल सांभरलेक का कब्जा भी प्राप्त किया जा चुका है तथा समाज कल्याण विभाग द्वारा उक्त भूमि की एन.ओ.सी. नगरपालिका मण्डल सांभरलेक के पक्ष में जारी कर दी गई। उक्त भूमि मौके पर खाली पडी है। जिसकी समाज कल्याण विभाग को किसी प्रकार की कोई आवश्यकता भी नहीं है। पैराफेरी क्षेत्र पर नगरपालिका का क्षेत्राधिकार होता है। अधिवक्ता ने अपनी बहस में तर्क दिया कि जब छात्रावास हेतु समाज कल्याण विभाग को भूमि आवंटित हो चुकी है तथा छात्रावास का निर्माण भी हो चुका है तो पुनः उसी कार्य हेतु दूसरी भूमि का आवंटन किया जाना नियम विरुद्ध है। एक ही भवन निर्माण के लिए 2 जगह भूमि का आवंटन न्यायोचित नहीं है। अतः अपीलाधीन नामान्तकरण संख्या 67 दिनांक 23.10.1990 निरस्त किया जावे।

अपीलांट अधिवक्ता ने अपनी बहस के समर्थन में समाज कल्याण विभाग के पत्रांक 657 दिनांक 31.01.2006, 4261 दिनांक 31.01.2006, जिला कलक्टर जयपुर के पत्र क्रमांक 11309 दिनांक 11.09.2006 की प्रति पेश की है।

रेस्पोडेन्ट सख्या 2 व 3 के पेरोकर ने दौराने बहस कथन किया कि समाज कल्याण विभाग को अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्रों के लिये छात्रावास की आवश्यकता थी इस हेतु जिला कलक्टर, जयपुर द्वारा उक्त भूमि समाज कल्याण विभाग को आवंटित की गई तथा उक्त आदेश की पालना में नामान्तरण संख्या 67 तस्दीक किया गया। सावर्जनिक निर्माण विभाग ने समाज कल्याण विभाग हेतु छात्रावास का निर्माण हायर सैकेण्डरी स्कूल के पास किया। तत्कालीन परिस्थितियों में समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों ने स्कूल के पास ही दूसरे स्थान पर छात्रावास निर्माण किये जाने के परिणामस्वरुप नगरपालिका मण्डल सामंरलेक के पक्ष में एन.ओ.सी. जारी करते हुये उक्त भूमि की आवश्यकता नहीं बताई परन्तु वर्तमान परिस्थितियों में आवश्यकता के अनुसार

अतिरिक्त, जिला कलक्टर

छात्रावास अधीक्षक, सांभरलेक, जयपुर के पत्र दिनांक 14.03.2023 में निवेदन किया गया है कि गलत स्थान पर सावर्जनिक निर्माण विभाग द्वारा बनाया गया यह छात्रावास भवन अब जीर्ण–शीर्ण अवस्था में होने के कारण वर्तमान समय में छात्रावास संचालन के योग्य नहीं है। अतः विभाग द्वारा नये छात्रावास भवन का निर्माण खसरा नं. 282 रकबा 1.03 बीघा पर किये जाने की सहमति एवं आवश्यकता बताई गई है। अन्त में अपीलान्ट की अपील खारिज फरमाई जाने का निवेदन किया गया है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया तथा अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। हस्तगत अपील नामान्तकरण संख्या 67 दिनांक 23.10.1990 वाके कस्बा सांभरलेक के विरुद्ध दायर की गई है। अपीलाधीन भूमि जिला कलक्टर जयपुर के आदेश क्रमांक 36/54 दिनांक 28/04/90 की पालना में छात्रावास निर्माण हेतु समाज कल्याण विभाग को आवंटित की गई थी। उक्त आदेश के क्रम में तथा तहसीलदार सांभरलेक के आदेश क्रमांक राजस्व/90/994 दिनांक 03/05/90 की पालना में अपीलाधीन नामान्तकरण स्वीकृत किया गया। चूंकि अपीलाधीन नामान्तकरण संख्या 67 जिला कलक्टर जयपुर के आवंटन आदेश दिनांक 28.04.1990 की पालना में तस्दीक किया गया है नामान्तकरण खोलने/तस्दीक करने मे कोई प्रक्रियात्मक त्रुटि नहीं है तथा उक्त आवटन आदेश वर्तमान में प्रभावी होने के कारण अपीलाधीन नामान्तरकण निरस्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। अतः नियमानुसार अपीलार्थी को उक्त नामान्तकरण से सबधित आवंटन की निरस्ती हेतु सक्षम न्यायालय में चाराजोही की जानी चाहिए।

निर्णय आज दिनांक 07/11/2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली बाद फैसल दर्ज नम्बर से कम हो। पत्रावली बाद तकमील तरतीब दाखिल दफ्तर हो।

(कुन्तल विश्नोई)
अति. जिला कलक्टर एवं
जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय)
जयपुर

अतिरिक्त जिला कलक्टर
(तृतीय) जयपुर